

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीग अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क रीडर/2025/1508

दिनांक - 03.04.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण


1 राजुराम 2 उमाशंकर 3
पुरखाराम 4 भोगाराम
पिसरान नारणाराम 5
श्रीमती गवरी देवी पत्नि
नारणाराम 6 सोनाराम 7
गोधुराम 8 दमाराम
पिसरान हनुमानराम 9
पेम्पो देवी पत्नि
हनुमानराम जाति जाट
निवासी मूलाणियों की
ढाणी, भीमड़ा तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।

1 जोगाराम पुत्र खेराजराग 2 भेराजराग पुत्र किशनाराम 3 गगाराम पुत्र
सुखाराम 4 वालाराम पुत्र खेराजराग 5 हनुमानराम पुत्र किशनाराम 6 तेजाराम
पुत्र गेनाराम 7 भेराजराग पुत्र गुलाराम 8 मंगलाराम पुत्र गेनाराम 9 शिवजीराम
पुत्र मूलाराम 10 सुरतीदेवी पत्नि मूलाराम 11 रागाराम पुत्र पोकरराम 12
गेनाराम पुत्र उदाराम 13 जातियान जाट निवासीयान हेमाणियों का तला
तहसील बाटाडु 13 रेखाराम 14 लालाराम पिसरान मोडाराम जातियान जाट 15
इन्दाराम पुत्र भलाराम 16 एजनों देवी पत्नि हरजीराम 17 डेलीदेवी पत्नि
इन्दाराम 18 नरेश कुमार पुत्र हिमथाराम 19 मंगलाराम पुत्र गेनाराम 20
शिवलाल पुत्र हिमथाराम जाति मेगवाल निवासीयान जागुओं की ढाणी भीमड़ा
तहसील बाटाडु। 21 खेगाराम पुत्र लाखाराम 22 गेनाराम पुत्र पारुराम 23
देरागाराम पुत्र कानाराम 24 नेगीचन्द पुत्र लाखाराम 25 नवलाराम 26
नेसलराम पिसरान गंगाराम 27 पालु देवी पत्नि कानाराम 28 बाबुलाल पुत्र
सोनाराम 29 मंगलाराम 30 राउ राम पिसरान पारुराम 31 राणाराम पुत्र
सोनाराम 32 लुणाराम पुत्र सोनाराम 33 सोधरी पत्नि सोनाराम 34 हेमी पत्नि
पारुराम जातियान गुरड़ा निवासीयान जागओ की ढाणी भीमड़ा तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-449/2024 दिनांक- 20/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भिमड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 780 रकबा 11.7386 हेक्टर, व खसरा संख्या 789/780 रकबा 0.2265 हेक्टर, भूमि व मौजा
हेमाणियों का तला पटवार क्षेत्र बाटाडु तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1427 रकबा 17.9598
हेक्टर, व खसरा संख्या 1563/1427 रकबा 1.2944 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से
पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार
पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1509-1512

दिनांक- 03.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भिमड़ा व पटवारी बाटाडु तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण राजुराम पुत्र नारणाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूलाणियों की ढाणी, भीमड़ा तहसील बाटाडु जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जोगाराम पुत्र खेराजराग वगैराह जातियान जाट निवासीयान हेमाणियों का तला तहसील बाटाडु
जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर